

**कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक**

क्रमांक :- 755

दिनांक :- 2.12.20

**॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥**

श्रीमती सुनिता जिन्दोलिया, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा के मातृत्व अवकाश पर जाने से, इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 612 दिनांक 19.09.2020 में संशोधन किया जाकर दिनांक 12.12.2020 एवं 13.12.2020 तथा साथ ही दिनांक 01.01.2021 के लिये निम्न न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त कार्य, प्रोटोकॉल सम्बन्धी कार्य सम्पन्न किये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है।

क्र०सं०	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
01.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	9694444444	12.12.2020
02.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	9828146819	13.12.2020
03.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	829011145	01.01.2021

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्याय क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। उक्त ड्यूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है, तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही संबंधित अधिकारी के ड्यूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :- 756

दिनांक :- 2.12.20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/उनियारा/मालपुरा/निवाई
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/देवली/टोडारायसिंह/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक
7. जिला आवकारी अधिकारी, टोंक
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईड पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक